

5
न्यायालय तहसीलदार कछुमर (अलवर) राज.

अरक्षण जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का तुमारी बनाम रघुवीर S/O गोरधन जायत चमारी

प्रकरण अर्थात् धारा 91 पटवारी पत्र

निर्णय दिनांक :- 25/2/19

प्रकरण संख्या :- RA/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तुमारी की आ.ख.नं. 454 कुल रकबा 1.08. जिसमें जागीर गोरधन में से 0.01 रकबा पर भी 1-08 पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर किया गया है। इस पर पटवारी हल्का तुमारी द्वारा दिनांक 12/1/18 को उसके विरुद्ध याचनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज एडिस्टर किया जाकर अतिक्रमी रघुवीर S/O गोरधन जाति जाट निवासी तुमारी को नू. राजस्थ अधिनियम 1986 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील करवाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उक्त रकबा आ.ख.नं. 454 रकबा 0.01 में से 0.01 रकबा जिसमें गोरधन है जो नियमन के बांधे नहीं है दिहाजा और साम्य का अतिक्रमण रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश किये जाते हैं एवं तण्ड स्वरूप लगान 63 paise का 60 गुणा 32/1 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जाते, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तुमारी भू.अ.निरी. को लिखा जाकर बाद तकगील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार राज
कछुमर, अलवर (राज.)

अतिक्रमी - प्र. ड.

रा. नू. सं. 4 के तहत रा. 16 रा. नू. सं. 16
मं. 20.1.8-19 रा. नू. सं. 32/1
को कायमी को गई

12/3/19